

दिनांक	आज्ञा पत्र
२९.७.२५	पञ्जाबी बैच / वकील उमयप रा. ३५. / एडव कारिगर्डी अधी पञ्जाबी वार्ड ७ एडव कारिगु दिनांक २८/८/२५ को बैच को अप
२८/८/२५	पञ्जाबी बैच / वकील उमयप रा. ३५. पञ्जाबी वार्ड ७ एडव दिनांक २५/९/२५ को बैच को अप
२५/९/२५	पञ्जाबी बैच। वकील अपीलान्त न उपस्थित होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब अकमील दाखिल दफ्तार हो। अप



भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प सुल्तान)

Not press
by
[Signature]